



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक:-

12017 निगरानी P 963-II 17

श्री. एस. के. कावचि, मारा  
धारा आज दि 28-3-17  
प्रस्तुत

ए. के. कावचि  
राजस्व मण्डल  
28-3-17

- १- राजाराम पुत्र रामनिहोर पं.ल,
- २- जगदीश पुत्र आनू लोनिया,
- ३- शिवप्रसाद पुत्र जगदीशलोनिया,
- ४- वंशपति पुत्र जगदीश लोनिया,
- ५- शिवमूरत पुत्र जगदीश लोनिया,
- ६- जानकी प्रसाद पुत्र माधवप्रसाद,  
समस्त निवासीगण- ग्राममनाफ, तैहसील-  
रामपुर नैकिन, जिला सीधी-मध्यप्रदेश ।

----- पार्थीगण

बिराध्व

रामाश्रम नाई पुत्र व्दारिका प्रसाद नाई,  
निवासी ग्राम मनाफ तैहसील रामपुर नैकिन,  
जिला सीधी-मध्यप्रदेश ।

----- प्रतिपार्थी

निगरानी बिराध्वआदेश एस०ही०आ० महोदय रामपुर नैकिन जिला सीधी  
दिनांकी १०-०३-२०१७, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता,  
१९५६। प्र०क्र० २८३/१५-१६ अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

- १- यह कि, एस०ही०आ० महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।
- २- यह कि, एस०ही०आ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी  
स्थिति को सही नहीं समझा है ।

52

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक 2-963/2017

21/09/2018 / 21/09/2018

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
8/1/19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>रवि चंद्र शर्मा</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी - <u>रवि चंद्र शर्मा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>283/15-16/322/04</u> में पारित आदेश दिनांक <u>10-3-17</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला - <u>राजसम</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>28/4/19</u> को कलेक्टर जिला - <u>राजसम</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"><u>mm</u> सदस्य</p>	

mm